

06/02/24

उपरखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

C/N. - 130/2023

पत्रावली पेश
सापत्र अन्तर्गत
पर बहस का
वकील प्राधी
वकील प्राधी
दस्तावेजों
द्वारा उक्त सापत्र
अप्राधी स. 1 से 5 का नाम
अंकन किये जाने
कि द्वारा 136 राज.
वैधनीय नहीं होने के कारण प्राधी का
धारिज किया जाता है।
पत्रावली में
पत्रावली नम्बर से कम है।

उपरखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)